न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 010/2017
रज्जु दिनांक: 21/02/2017
निर्णय दिनांक: 30/05/2017

प्रेमदेवी पत्नी प्रेमचन्द जाति रैगर निवासी ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।

.......वादिनी

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम लुणियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित:
श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादिनी

निर्णय दिनांक: 30/05/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 145 के आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 05 बिस्वा, एवं आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि के आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 05 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा में से 37/67 वॉ हिस्सा अर्थात 1 बीघा 17 बिस्वा वादिनी ने प्रतिवादिनी से कय किया है तथा कय करने के बाद भूमि पर काबिज काश्त है एवं सरकारी लगान जमा कराते आ रही है। वादिनी ने उपरोक्त कयशुदा आराजी से अब प्रतिवादीनी का कोई संबंध व सरोकार नही है लेकिन वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

में जमीनों के भाव बढ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर हो गया है तथा अब वह वादीनी की उपरोक्त भूमि की किसी दीगर व्यक्ति को रहनश बैय, मुन्तकिल कर वादीनी को बेदखल किये जाने के लिए पूर्णतया तत्पर है जबकि प्रतिवादीनी ने उक्त आराजी का विक्रय दिनांक 27.11.2014 को बिल एवज् राशि 6 लाख रूपये में विक्रय कर कब्जा क्रेती/वादीनी को संभला दिया है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीनी का कोई उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रतिवादीनी ने उपरोक्त विक्रय की गई आराजीयात किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, मुन्तकिल करने पर आमादा होने के कारण वादीनी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हुआ है। अभी हाल ही में दिनांक 06.02.2017 को उत्पन्न हुआ जब वादीनी अपनी आराजी में बोई हुई चने की फसल की देखभाल कर रही थी तब प्रतिवादीनी मौके पर आयी और उपरोक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय किये जाने की ऐलानियॉ धमकी दी एवं वादीनी के साथ झगडा–फसाद किया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीनी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। वादीनी वाद कारण दिनांक 06.02.2017 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीनी वादीनी को उक्त भूमि का विक्रय कर वादीनी को उसकी क्रयशुदा भूमि से महरूम किये जाने से व झगडा फसाद कर धमकी दिये जाने से वाद कारण मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है जिसकी सुनवाई का अधिकार क्षैत्र मान्य न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादीगण अपने मनसूबे में कामयाब हो गये तो वादी को उसके हिस्से की आराजी से वंचित होना पडेगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगें तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादीनी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावें कि वादीनी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वर्णिद मद नं0 1 वाद के अनुसार उपरोक्त भूमि की खातेदार काशतकार घोषित किया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। वादीनी एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जो बाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादी ने साक्ष्य में स्वयं वादीनी प्रेम देवी पत्नि प्रेमचन्द व भागचन्द पुत्र कालू एवं भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति रैगर निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी की तरफ से साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गयें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि वादीनी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2014 द्वारा क्रयशुदा भूमि है। वादीनी एवं प्रतिवादीनी ने राजीनामा तस्दीक को चुका है। इसलिये मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः वादीनी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 145 के आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 05 बिस्वा, एवं आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 05 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा में से 37/67 वाँ हिस्सा अर्थात 1 बीघा 17 बिस्वा का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशोरपुरा में मजमेआम सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट किशोरपुरा)

पीठासीन अधिकारी :–सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

प्रेम देवी बनाम प्रेमदेवी वगै0

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 010/2017

निर्णय

दिनांक :– 30.05.2017

वादी की ओर से ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादी गोपेश पारीक एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.05.2017 को श्री सावन कुमार चायत (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि–

अतः वादीनी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 145 के आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 05 बिस्वा, एवं आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 05 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा में से 37/67 वॉ हिस्सा अर्थात 1 बीघा 17 बिस्वा का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी
जिला–जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. रूपयेपरप्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	nil	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	nil
जोड़		जोड	

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)